सावधान ! अपना धन सुरक्षित रखे!

1. किसी भी इकाई / योजना / सोसाइटी में या किसी व्यक्ति (चाहे वह आपका रिश्तेदार या दोस्त क्यों न हो) के कहने पर निवेश / जमा करने से पहले यह सुनिश्चित करे की क्या वह इकाई / योजना / सोसाइटी / व्यक्ति पैसा लेने के लिए रिजर्व बैंक / सेबी / आइआरडीएआइ / एनएचबी / पीएफ़आरडीए/ आरओसी / आरसीएस / चिटफ़ंड रजिस्ट्रार, इत्यादि द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत है।

2. धनराशि स्वीकार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सूची www.rbi.org.in/permittednbfcs पर उपलब्ध है। यह ध्यान मे रखें की कंपनी के पास किया गया निवेश / जमाराशि रिजर्व बैंक या अन्य किसी एजंसी से गारींटिड / बीमाकृत नहीं है।

3.https://rbi.org.in/Scripts/RBICautions.aspx पर जाकर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी सतर्क करने वाले संदेशों को अवश्य पढ़ें। इस प्रकार के सतर्क करने वाले संदेश भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मोबाइल फोन पर RBISAY नाम से SMS रूप में भी भेजे जाते है।

4.कंपनी अधिनियम, 2013 की कुछ शर्तों का अनुपालन करने के पश्चात ही पब्लिक लिमिटेड कंपनियां जनता से जमाराशियाँ स्वीकार कर सकती है।

5.अनिगमित संस्थाए जैसे प्रोप्राइटरशिप और भागीदारी संस्थाए, ट्रस्ट आदि जनता से जमाराशियाँ स्वीकार नहीं कर सकती।

<u>अधिक रिटर्न्स से आकर्षित न हों।</u>

6. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 9 के अंतर्गत पंजीकृत साख सहकारी संस्थाएं अपने अंशधारी सदस्यों से अमानत प्राप्त करने तथा उन्हें ऋण प्रदान करने के लिए अधिकृत है। साख सहकारी संस्थाएं नाममात्र के सदस्यों तथा गैर सदस्यों से अमानतें प्राप्त करने या उन्हें ऋण देने के लिए अधिकृत नहीं है।

7. कोई भी प्राधिकृत कंपनी प्राप्त पब्लिक जमाराशियों पर 12.50 % से अधिक की ब्याज दर ऑफर नहीं कर सकती। ज्यादा रिटर्न देने का वादा करने का अर्थ है अधिक जोखिम।

8. शेयर / डिबैंचर आदि को जारी करना सेबी / कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा विनियमित किया जाता है। यह सुनिश्चित करें की कंपनी ने सेबी / कंपनी रजिस्ट्रार के पास ऑफर दस्तावेज़ फ़ाइल किए है। निवेश करने से पूर्व सम्पूर्ण दस्तावेज़ अवश्य पढ़ें।

9. अपंजीकृत सामूहिक निवेश योजनाओं (Collective Investment Schemes) में निवेश न करें। जनता से पैसा लेकर भविष्य में प्रतिलाभ या उत्पादों के डिलीवरी / संपत्ति, जैसे प्लाट, पेड़ आदि प्रदान करने वाली सीआईएस योजनाओं का विनियमन सेबी द्वारा किया जाता है।

<u>पछतावे से बेहतर सावधानी है।</u>

<u>ध्यान से सोचें!</u>

10. धनराशि परिचालन करने वाली ऐसी योजनाओं, जो नए सदस्यों के नामांकन से जमा हुई राशि में से भुगतान करती है, से सावधान रहें।

11. यदि कोई वित्तीय स्थापना आपकी जमाराशि निर्धारित समय पर नहीं लौटाती तो आप 'छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005' के अंतर्गत उसकी शिकायत जिला मैजिस्ट्रेट के पास कर सकते है।

12. जमाराशियाँ लेने और अत्यधिक रिटर्न / गिफ्ट / लॉटरी आदि का वादा करने वाली ऑनलाइन योजनाओं / फर्जी फोन कॉल के लालच मे न आयें।

13. रिजर्व बैंक / आइआरडीएआइ / आयकर विभाग/ बैंक इत्यादि का नाम लेकर निवेश / जमा करवाने के लिए लुभाने वाले और बोनस / उच्च लाभ / उच्च प्रतिलाभ / गिफ्ट आदि देने का प्रस्ताव करने वाले धोखेबाज कॉलरों / एसएमएस / ईमेल / सोशियल मीडिया संदेश इत्यादि से सावधान रहें।

14. ऋण लेने से पहले सभी शर्तों तथा दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढे। ब्याज दर एवं अन्य फीस / चार्जेस पहले से ही पता लगा लें।

<u>उच्च प्रतिफल की उम्मीद, उच्च जोखिम को बुलावा!</u>

अधिक रिटर्न्स, अधिक जोखिम!

अधिक जानकारी अथवा शिकायत दर्ज करने अथवा सूचना देने के लिए संपर्क करें।

- **जिला कलेक्टर**
- **संस्थागत वित्त संचलनालय**, इंद्रावती भवन, ब्लॉक 1, चौथी मंजिल, नया रायपुर – 492002 (www.pdiact.cg.nic.in)
- **राज्य पुलिस**, अपराध अनुसंधान विभाग, पुलिस मुख्यालय, सैक्टर 19, नया रायपुर - 492002, फोन – 0771-2431210
- **रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज**, पहली मंजिल, अशोक पिंगले भवन, नेहरू चौक, बिलासपुर – 495001, फोन – 0775-2250092 (www.mca.gov.in)
- **पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़,** द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर - 402002 फोन – 0771-2511920 (www.coop.cg.gov.in) (ई-मेल - rcs.coop@nic.in)
- **भारतीय रिजर्व बैंक**, सुभाशीष परिसर, 54/949, महादेव घाट रोड, सुंदर नगर, रायपुर – 492013, फोन – 0771-2242361 (www.sachet.rbi.org.in)
- **भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड**, LIC कॉम्प्लेक्स, पंडरी, देवेंद्र नगर, रायपुर – 492004, फोन – 0771-2583882 (www.sebi.gov.in) (टोल फ्री हेल्पलाइन – 1800 266 7575)
- **भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण**, तीसरी मंजिल, परिश्रम भवन, बशीर बाग, हैदराबाद – 500004, फोन – 040-23381100 (www.irdai.gov.in)
- **राष्ट्रीय आवास बैंक,** कोर 5-A, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003, फोन 011-24629031 (www.nhb.org.in)
- **पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA)**, बी-14/ए, छत्रपति शिवाजी भवन, कुतब संस्थागत क्षेत्र, कटवारिया सराई, नई दिल्ली – 110016, फोन – 011-26517501, 011-26517503, 011-26517097 (www.pfrda.org.in)

जनहित मे जारी